HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2192/2025

Juvenile R @ R S/o Late Shri Satyendra Lamba, R/o Main Stand, Ramjipura, Police Station Dantaramgarh, District Sikar Through Guardian Mother Renu W/o Late Satyendra Lamba. (Presently Confined In Observaton Home Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री निखलेश कटारा
श्री विष्णु कुमार शर्मा

For Respondent(s) : श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

23-02-2026

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, **किशोर न्याय बोर्ड, कम–2, जयपुर, राजस्थान** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**124/2025** पुलिस थाना, **रेनवाल, जयपुर ग्रामीण** में पारित आदेश दिनांक **07.10.2025** जिसके तहत याची–किशोर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **12** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम खारिज किया गया एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, **न्यायाधीश, बालक न्यायालय (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जयपुर जिला, जयपुर** द्वारा दाण्डिक अपील संख्या–**102/2025** में पारित आदेश दिनांक **14.10.2025** जिसके तहत याची–किशोर की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा **101** किशोर न्याय अधिनियम खारिज की गई, से व्यथित होकर याची–किशोरी की ओर से **जरिये संरक्षक** यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (जमानत) प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि याची को इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है, वह दिनांक 27.04.2025 से सम्प्रेषण गृह में है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियोजन की ओर से साक्ष्य सूची में 19 गवाह रखें हैं जिसमें से मात्र 10 साक्षीगण के बयान हुए हैं । परिवादी के बयान पी. ड.3 के रूप में हो चुके हैं, किशोर का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, न ही कोई शिनाख्तगी परेड करवायी गई है । पी.ड.3 जितेन्द्र ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मारपीट करने वालों को पहले से नहीं जानता था, उनका नाम पता उसे पुलिस वालों से पता चला था । उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे याची का किसी आपराधिक आचरण रखने वाले व्यक्ति के साथ सम्पर्क रहना प्रकट होता हो तथा याची के चरित्र एवं आचरण के क्रम में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि किशोर के मामले में अपराध की गंभीरता को नहीं देखना है बल्कि किशोर का हित देखा जाना है , याची को अधिक समय तक सम्प्रेषण गृह में रखने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अतः रिवीजन याचिका स्वीकार की जाकर याची किशोर को जमानत का लाभ दिया जावे।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा रिवीजन याचिका का विरोध किया गया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों व वितर्कों तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किया । परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, गवाह पी.ड.3 के बयानों व पत्रावली का अवलोकन किया ।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विपरीत तथ्यात्मक स्थिति प्रकट नहीं हुई है, ऐसा भी दर्शित नहीं होता कि यदि याची को सुपुदर्गी पर दिया जाता है तो वह ज्ञात अपराधियों के सहचर्य में आ सकता है तथा उसको नैतिक, शारीरिक व मनौवैज्ञानिक खतरा है। ऐसा भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि उसे जमानत पर मुक्त किए जाने पर वह पुनः आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त होगा। परिणामस्वरूप यह जमानत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची किशोरी **''आर.'' उर्फ ''आर'' पुत्र स्वर्गीय श्री सत्येन्द्र लाम्बा** की ओर से जरिये संरक्षक प्रस्तुत यह फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश

दिनांक 07.10.2025 तथा 14.10.2025 अपास्त किए जाते है एवं आदेश दिया जाता है कि यदि याची की ओर से उसका **संरक्षक** अधीनस्थ विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, 50,000/—रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/— रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि जमानत के दौरान वह याची—किशोरी को अपनी संरक्षकता में सुरक्षित रखेगा, किसी आपराधिक तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर याची—किशोरी को न्यायालय में उपस्थित कर देगा तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/18